

तारीख हुक्म

17/2/20

अवकाश का हक। कुलमन प्रसिद्ध
17/2/20 को। प्रमाणित प्रमाणित को
/अवकाश का हक। प्रमाणित प्रमाणित को
अवकाश का हक। प्रमाणित प्रमाणित को
को देना है। ✓

27/2/20

पत्नी के अभाव में कृषि प्रणाली द्वारा
अपनी लक्ष्य में उपस्थित रहे अतः इनके
पिता एक लक्ष्य में कार्यवाही अन्त में
लायी जाती है। वहाँ कृषि प्रणाली
गयी। दोराने एक कृषि प्रणाली में लक्ष्य
के अभाव में कृषि प्रणाली 378 न
गाम उदपपुरा के राधा लक्ष्य में प्रणाली
के पिता का नाम "धोडूनाथ" प्रणाली
अपनी लक्ष्य गाम नारायणनाथ पुत्र धोडूनाथ
लक्ष्य प्रणाली के पिता के मृत्यु पत्र
पत्र में भी पिता का नाम नारायणनाथ
पुत्र धोडूनाथ ही दर्ज है अतः प्रणाली
की व्यक्तिगत नारायणनाथ पुत्र धोडूनाथ के अभाव
में नारायणनाथ पुत्र धोडूनाथ लक्ष्य प्रणाली

जहाँ
एक वहाँ कृषि प्रणाली लक्ष्य प्रणाली
के पिता के मृत्यु पत्र पत्र में व्यक्तिगत
नारायणनाथ पुत्र धोडूनाथ अंकित है तथा
गाम पंचायत द्वारा जारी पत्र पत्र में
भी सही नाम नारायणनाथ पुत्र धोडूनाथ
है।

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

दोका दर्ज किया गया है इसमें प्रार्थी के
पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र व शाह पंचायत
द्वारा जारी प्रमाण पत्र 16/11/19 से साबित होगा
है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम नारायण
शुभ चोडू नाथ ही है और उक्त दस्तावेजों के
आधारे प्रार्थी का अर्थात् पत्र खींच
योग्य पाये जाने पर खींचा किया जाता
है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

आदेश

इसि अति खण्ड 378 रखा 1.38 एड
तन शाह उदपपुरा पंच गोविन्दपुरा तहसील
खण्डोला जिला बीकानेर राजस्थान के वास्तव
रिवाज में प्रार्थी के पिता का नाम नारायण
शुभ चोडू नाथ के स्थान पर नारायण नाथ
शुभ चोडू नाथ उक्त जिला अर्थात् अहमद
परासर हेतु तहसीलदार खण्डोला का
तहसील जारी है किन्तु नारायण शुभ
दोका नम्बर 16 मय है और तहसील
दाखिल दफतर है

(Signature)
(रंगभोज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डोला (सीकर)
27/11/20